न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 66/2024

उनवान

1. हाजी मौहम्मद फुरकान पुत्र इस्लामुदीन जाति माहीगीर नि0 रूम न0 6 पहला माला गुलशन अपार्टमेन्ट कोन गांव तहसील भिवण्डी महाराष्ट्र

—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली

बनाम

1. चेतनप्रकाष पुत्र नीर सिंह,
2. सोहनी पत्नी अमरचन्द,
3. धनराज पुत्र अमरचन्द,
4. सोभाग उर्फ शोभाग पुत्री अमरचन्द,
5. तुलसी पुत्री अमरचन्द जाति जाट नि0 कानपुरा, नसीराबाद,
6. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद,

—— प्रतिवादीगण :– 1 से 5 अनुपस्थित, 6 जरिये राज0 पैरोकार

7. मो0 एहसान पुत्र इसलामुदीन जाति माहीगीर नि0 रूम न0 6 पहला माला गुलशन अपार्टमेन्ट कोन गांव तहसील भिवण्डी महाराष्ट्र

—— प्रफोर्मा प्रतिवादी :– अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 17.7.25

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कानुपरा के हाल खसरा नम्बर 1352/5667 रकबा 0.59 व 1375/5400 रकबा 0.59 की आराजी वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी ने जरियें पंजीबद्व विक्रय पत्र दिनांक 16.01.2014 को प्रतिवादी संख्या 1 के पिता व प्रतिवादी संख्या 2 से 5 से क्रय की कब्जा प्राप्त कर लिया था। राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा विक्रय पत्र की पालना में वादीव प्रफोर्मा प्रतिवादीके नाम दर्ज करने के बजाय प्रतिवादीगण के नाम त्रुटिपूर्ण तरीके से दर्ज कर दिये गये। जिस कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 व 7 प्रकरण में अनुपस्थित रहे व जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:34:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रकरण में खण्डन नही होने के कारण तनकियात कायम नही की गयी।
अधिवक्ता वादीने राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र पेश किये तथा प्रकरण में साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।
बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्धान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया वाद पत्र में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार ग्राम कानुपरा के हाल खसरा नम्बर 1352/5667 रकबा 0.59 व 1375/5400 रकबा 0.59 की आराजी वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी ने जरियें पंजीबद्व विक्रय पत्र दिनांक 16.01.2014 को प्रतिवादी संख्या 1 के पिता व प्रतिवादी संख्या 2 से 5 से क्रय की कब्जा प्राप्त कर लिया था। उक्त आराजी के साथ क्रय किये गये हाल खसरा नम्बर 1352/5666 वादी के नाम दर्ज है। आराजी मुतनाजा भी विक्रय पत्र की पालना में क्रेता वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी के नाम दर्ज करनी चाहिये थी। विक्रय पत्र पंजीबद्व होने से उसकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। प्रतिवादीगण द्वारा आज दिवस तक विक्रय पत्र के विरूद्व कोई चाराजोही नही की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 के प्रावधान अनुसार विक्रेता के खातेदारी अधिकारों का अवसान हो चुका है। आराजी मुतनाजा वादीव प्रफोर्मा प्रतिवादी की विधिक क्रयशुदा है। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज0 पैरोकार द्वारा भी वाद का खण्डन नही किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से वाद के कथनों की ताईद होती है। वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है।

अतः ग्राम कानुपरा के हाल खसरा नम्बर 1352/5667 रकबा 0.59 व 1375/5400 रकबा 0.59 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी को का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:34:09 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

हाजी मौहम्मद फुरकान बनाम चेतन प्रकाश वगै0

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 66/2024
पेश करने की दिनांक – 02.04.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक हीरालाल माली मुद्दई व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम कानुपरा के हाल खसरा नम्बर 1352/5667 रकबा 0.59 व 1375/5400 रकबा 0.59 की आराजीवादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी को का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 17 माह 7 सन् 2025 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:34:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद